[2021] 6 एस. सी. आर 692

सोमेश चौरसिया

वी.

एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य

(आपराधिक अपील सं। 590-591 2021 का)

22 जुलाई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.389 (1)-अभियोजन मामला यह था कि दूसरे प्रतिवादी को एस के तहत दोषी ठहराया गया था। 302

एस के तहत निलंबित रहें। 389 (1) – जमानत रद्द करने और दूसरे प्रतिवादी की सजा को निलंबित करने के दिनांकित आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दो आवेदन इस आधार पर दायर किए गए थे कि सजा निलंबित होने के बाद, दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि दूसरा प्रतिवादी उस अवधि के दौरान अपने पिता की हत्या में शामिल था जब उसकी सजा निलंबित की गई थी-विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने विचार करने से इनकार कर दिया

सजा के निलंबन/जमानत की मंजूरी को रद्द करने के लिए आवेदन और उसे तब तक जमानत पर बने रहने की अनुमति दी जब तक कि उसके दावे कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा था, की नब्बे दिनों में पहले जांच नहीं की गई-इसलिए तत्काल अपील-12.2.2021 पर, अपीलार्थी ने इस अदालत को अवगत कराया कि 8.1.2021 के आदेश द्वारा, ASG ने s के तहत दूसरे प्रतिवादी को समन जारी किया। 319 आरोप-पत्र से उत्पन्न सत्र मुकदमे के दौरान-हालांकि, दूसरा प्रतिवादी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था दिनांक 1 के आदेश में, ए. एस. जे. ने गंभीर आशंका व्यक्त की कि आरोपी (दूसरा प्रतिवादी) और पुलिस अधीक्षक ने न्यायाधीश के खिलाफ "गंभीर आरोप लगाने" के लिए दूसरे के अधीनस्थों के साथ मिलीभगत की थी-मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को "दूसरे प्रतिवादी की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित करने और इस अदालत में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करके अनुपालन की रिपोर्ट करने" का निर्देश दिया गया था-दूसरे प्रतिवादी को बहुत प्रयासों के बाद बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था-आयोजितः उच्च न्यायालय ने सजा के निलंबन को रद्द करने से इनकार करके स्पष्ट रूप से एक असामान्य क्षेत्र में उल्लंघन किया था-उच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से

कानून कि दूसरे प्रतिवादी को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था-रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ने संकेत दिया कि आरोपी को आपराधिक न्याय के प्रशासन से बचाने का प्रयास किया गया था एएसजे द्वारा अपने दिनांकित आदेश में व्यक्त की गई आशंकाएँ 8.2.2021 कानून की प्रक्रिया से बचने वाले एक अत्यधिक प्रभावशाली अभियुक्त के षड्यंत्रों के बारे में तथ्यों से पूरी तरह से पता चलता है-एक न्यायिक अधिकारी की पीड़ा और चिंता पर संदेह करने का कोई उचित आधार नहीं था-कि राज्य ने एस के तहत आवेदन का विरोध नहीं किया था। 319 सी. आर. पी. सी. पुलिस की निष्क्रियता को उचित ठहराने का एक कमजोर प्रयास है-दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्य में विफल रहा कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया की पवित्रता को संरक्षित किया जाए।

न्यायपालिकाः न्यायपालिका की स्वतंत्रता-जिला न्यायपालिका की न्यायिक स्वतंत्रता पूरी व्यवस्था की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है-यदि न्याय के प्रशासन में नागरिक के विश्वास को बनाए रखना है, तो यह जिला न्यायपालिका के लिए है कि ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और साथ ही उच्च न्यायपालिका-जिला न्यायपालिका संचालित होती है।

उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत जिसे बाहरी प्रभाव और नियंत्रण से अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित और बढ़ाना चाहिए-न्यायपालिका और कार्यपालिका के इस विभाजन का उल्लंघन न्यायाधीशों के व्यक्तिगत निर्णय लेने और उनके अधीन अदालती कार्यवाही के संचालन में हस्तक्षेप करके नहीं किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश द्वारा दूसरे प्रतिवादी को अनुमति दी, जिसने कथित रूप से इस दौरान हत्या की थी। वह अवधि जब उनकी सजा निलंबित की गई थी, तब तक जमानत पर बने रहने के लिए जब तक कि उनके इस दावे की कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा था, नब्बे दिनों में पहली बार जांच नहीं की गई। इस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक असामान्य क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से आपराधिक न्याय के प्रशासन को बाधित कर दिया है। [पैरा 29] [714-सी-डी]

2. आपराधिक कानून में अलग-अलग सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, अर्थात् (i) मुकदमे से पहले जमानत देना या जिसे 'पूर्व-दोषसिद्धि' चरण के रूप में वर्णित किया गया है; (ii) जमानत देने वाले आदेश को तब दरकिनार करना जब निर्णय में जिन सिद्धांतों का वजन होना चाहिए -

क्या जमानत की अनदेखी की गई है या गलत तरीके से लागू की जानी चाहिए; (iii) धारा 389 (1) के प्रावधानों के तहत सजा का दोषसिद्धि के बाद निलंबन; और (iv) जमानत की अवधि के दौरान आरोपी के आचरण, जमानत के जारी रहने को दूषित करने जैसी घटनाओं के आधार पर जमानत रद्द करना। वर्तमान मामला उपरोक्त शैलियों में से अंतिम में आता है जहां जमानत को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि दूसरे प्रतिवादी को धारा 302 के तहत अपराध में फंसाया गया था। उस अवधि के दौरान जब उसकी सजा निलंबित कर दी गई थी। [पारस 34,35] [716-डी-एफ]

3. अब्दुल बासित बनाम अब्दुल कादिर चौधरी मामले में यह अदालत,

जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों पर चर्चा करते हुए

सी. आर. पी. सी. की धारा 439 (2) के तहत किसी आरोपी को दी गई मंजूरी में कहा गया है कि आम तौर पर आरोपी के निम्नलिखित आचरण के परिणामस्वरूप जमानत रद्द हो जाएगी-(i) समान आपराधिक गतिविधि में शामिल होकर स्वतंत्रता का दुरुपयोग; (ii) जांच के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप; (iii) साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़; (iv) गवाहों को धमकी देना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो जांच में बाधा डालती हैं; (v) दूसरे देश भागने की संभावना; (vi) अनुपलब्ध होकर दुर्लभ होने का प्रयास करना।

जांच या भूमिगत होने के लिए; और (vii) उनके मुचलके की पहुंच से बाहर होना। इसी तरह के विचार नियंत्रित करते हैं

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (1) के दूसरे प्रावधान के तहत दोषसिद्धि के बाद के चरण में जमानत रद्द करना। [पैरा 36] [716-एफ-जी; 717-ए] सोमेश चौरसिया बनाम।

एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य

अतुल त्रिपाठी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 9 एस. सी. सी. 177: [2014] 14 एससीआर 1188; रामजी प्रसाद बनाम। रतन कुमार जयसवाल

और एन. आर. (2002) 9 एस. सी. सी. 366; मसूद अली खान बनाम यू. पी. और अन्य राज्य। (2009) 3 एससीसी 492: [2009] 1 एस. सी. आर. 859; विजय कुमार बनाम नरेंद्र (2002) 9 एस. सी. सी. 364 अब्दुल बासित बनाम। अब्दुल कादिर चौधरी (2014) 10 एससीसी 754: [2014] 10 एस. सी. आर. 571; पम्पपति बनाम। मैसूर राज्य 1966 पूरक एससीआर 477; रमेश कुमार सिंह बनाम। झब्बर सिंह और ओआरएस। (2003) 10 एस. सी. सी. 195 पर भरोसा किया।

4. वर्तमान मामला रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला था

दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ इस आरोप पर दर्ज प्राथमिकी की जांच करें कि उसने 15 मार्च 2019 को अपीलार्थी के पिता की हत्या की थी, जब उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय; दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ पुलिस द्वारा उसे दोषमुक्त करने के खिलाफ एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना; ए. एस. जे. का दिनांक 8 जनवरी 2021 का आदेश जिसमें दूसरे प्रतिवादी को सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत तलब किया गया है; दूसरा प्रतिवादी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने और एक घोषणा के बावजूद गिरफ्तारी से बच गया है; इस अदालत के दिनांक 12 मार्च 2021 के आदेश के बावजूद कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दूसरे प्रतिवादी की गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने में विफलता;

इस न्यायालय द्वारा 26 मार्च 2021 को जारी किए गए निर्देशों में डी. जी. पी. को पिछले नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

आदेश जिसमें विफल रहने पर न्यायालय कानून के अनुसार दंडात्मक कदम उठाने के लिए विवश होगा; 28 मार्च 2021 को दूसरे प्रतिवादी की बस स्टैंड से गिरफ्तारी; एएसजे द्वारा 8 फरवरी 2021 के अपने आदेश में व्यक्त की गई आशंका कि उसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली आरोपी के इशारे पर निशाना बनाया जा रहा था; और दूसरे [2021] 6 एस. सी. आर. को सुरक्षा का प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत पूर्व दोषसिद्धि के बावजूद अपने पति या पत्नी के कहने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी जो एक विधायक है। [पैरा 37] [717-एफ; 718-ए-एच; 719-ए]

5. उच्च न्यायालय ने खुद को उन कानूनी सिद्धांतों पर गलत तरीके से लागू किया जिन्हें इस तरह के मामले को नियंत्रित करना चाहिए। उच्च द्वारा गंभीर त्रुटि

न्यायालय के विवादित आदेश पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने जमानत को रद्द करने की मांग करने वाले आई. ए. को केवल निपटाकर उन भौतिक विचारों को नजरअंदाज कर दिया, जिन्हें निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए था। कुछ घटनाएं निस्संदेह उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुईं। हालाँकि, जब उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया, तो इस स्थिति को लेते हुए जमानत रद्द करने का एक स्पष्ट मामला स्थापित किया गया। दूसरा पहलू जो भी महत्वपूर्ण है, वह है उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव। उच्च न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ 2019 की प्राथमिकी संख्या 143 दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. की जांच

कानून के अनुसार आगे बढ़ना पड़ा। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने पुलिस को दूसरे प्रतिवादी की शिकायत की जांच करने के लिए नब्बे दिनों की अवधि दी कि उसे निशाना बनाया जा रहा था और इसके बाद पुलिस को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी। इस आदेश का प्रभाव आरोपी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता के बावजूद उसके कहने पर प्राथमिकी की निष्पक्ष जांच में बाधा डालने का था। इसके बाद से जो घटनाएं घटित हुई हैं, वे इस तथ्य पर जोर देती हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश पारित करने में गंभीर त्रुटि की थी, जिसका दुरुपयोग जांच को विफल करने के लिए किया गया था। पुलिस ने दूसरे प्रतिवादी को दोषमुक्त करते हुए एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, धारा 319 के तहत आदेश के बावजूद, दूसरा प्रतिवादी ए. एस. जे. द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार होने से बच गया। तथ्यों से संकेत मिलता है कि पुलिस दूसरे प्रतिवादी को बचाने में शामिल रही है। आपराधिक पृष्ठभूमि

दूसरे प्रत्यर्थी और हत्या के आरोप में पूर्व दोषसिद्धि को स्वीकार कर लिया गया है। दूसरे प्रतिवादी, जिसकी पत्नी एक विधायक है, को राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। डी जी पी इस अदालत को सूचित करने में आशावादी था कि इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद दूसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। यह केवल तब हुआ जब इस न्यायालय ने एक आकस्मिक निर्देश जारी किया सोमेश चौरसिया बनाम।

इस न्यायालय के समक्ष खुलासा किया गया है। न्यायिक अधिकारी की पीड़ा और चिंता पर संदेह करने का कोई उचित आधार नहीं है। यह कि राज्य ने धारा 319 के तहत आवेदन का विरोध नहीं किया, पुलिस की निष्क्रियता को उचित ठहराने का एक कमजोर प्रयास है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया की पवित्रता को संरक्षित किया जाए। इस अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना पड़ा है कि कानून का शासन बना रहे। [पैरा 38] [719-बी-एच; 720-ए-बी] 6. 23 जुलाई 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाएगा। दूसरे प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी। दूसरे प्रतिवादी को डी. जी. पी. के निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश की एक अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपराधिक कार्यवाही का निष्पक्ष मार्ग बाधित न हो। [पैरा 39] [720-सी-डी]

7. इस कार्यवाही के दौरान, द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था

जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूरी व्यवस्था की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। जिला न्यायपालिका में शामिल अदालतें नागरिकों के साथ संपर्क का पहला बिंदु हैं। यदि न्याय के प्रशासन में नागरिक के विश्वास को बनाए रखना है, तो यह जिला न्यायपालिका के साथ-साथ 'उच्च' न्यायपालिका का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ट्रायल जज भयावह परिस्थितियों के बीच काम करते हैं-बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा, उदाहरण न्यायाधीशों को निशाना बनाया जा रहा है जब वे सही के लिए खड़े होते हैं और दुख की बात है कि स्थानांतरण और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के प्रशासन के अधीनता जो उन्हें असुरक्षित बनाती है। औपनिवेशिक मानसिकता जो जिला न्यायपालिका के साथ किए गए व्यवहार में व्याप्त है, उसे बदलना होगा। यह तभी है जब प्रत्येक हितधारक के लिए नागरिक स्वतंत्रता-चाहे वह आरोपी हो, पीड़ित हो या सिविल

समाज-हमारी निचली अदालतों में सार्थक रूप से संरक्षित किया जाएगा जो उन लोगों के लिए बचाव की पहली पंक्ति है जिनके साथ अन्याय किया गया है। [पैरा 40] [720-डी-जी]

8. एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में न्यायपालिका का कार्य शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा में निहित है।

व्यक्तिगत न्यायाधीशों को किसी भी अन्य कारक से बाधित हुए बिना कानून के अनुसार विवादों पर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार, "इस कारण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रत्येक न्यायाधीश की स्वतंत्रता है"। व्यक्तिगत न्यायाधीशों की स्वतंत्रता में यह भी शामिल है कि वे अपनी न्यायिक व्यवस्था से स्वतंत्र हैं।

वरिष्ठ और सहकर्मी। [पैरा 41] [720-जी-एच; 721-ए]

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. 2021

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 463-पर निर्भर था।

9. हमारे संविधान में विशेष रूप से परिकल्पना की गई है

जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह संविधान के अनुच्छेद 50 में निहित है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जिला न्यायपालिका के तहत काम करता है उच्च न्यायालय का प्रशासनिक पर्यवेक्षण जिसे बाहरी प्रभाव और नियंत्रण से अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित और बढ़ाना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के इस विभाजन का उल्लंघन न्यायाधीशों के व्यक्तिगत निर्णय लेने और उनके अधीन अदालती कार्यवाही के संचालन में हस्तक्षेप करके नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 42] [721-ई-एफ]

11. भारत में दो समानांतर कानूनी प्रणालियाँ नहीं हो सकतीं, "एक अमीरों और साधन संपन्नों के लिए और जो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। और प्रभाव और दूसरा न्याय प्राप्त करने या अन्याय से लड़ने के लिए संसाधनों और क्षमताओं के बिना छोटे लोगों के लिए। दोहरी कानूनी प्रणाली का अस्तित्व केवल कानून की वैधता को दूर करेगा। यह कर्तव्य राज्य तंत्र पर भी पड़ता है कि वह वचनबद्ध हो सोमेश चौरसिया बनाम।

एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य

कानून के शासन के लिए और अपने स्वयं के नियमों का पालन करने की अपनी क्षमता और इच्छा का प्रदर्शन करें, ताकि इसके कार्यों का उल्लंघन न हो

"सरकारी अराजकता" के क्षेत्र में। साथ ही, हम मानते हैं कि न्यायाधीश, अपने कार्य में निर्विघ्न होते हुए भी

कानून का पालन करने और न्याय करने की प्रतिबद्धता, उचित देखभाल और चिंतन के बिना राज्य के अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने से सावधान रहना चाहिए। [पारस 44,45] [722-ए-सी]

12. ए. एस. जे. द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएँ होनी चाहिए

उच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर विधिवत पूछताछ की गई

ताकि यदि वे सही पाए जाते हैं, तो न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। [पैरा 46] [722-सी-डी]

मामला कानून संदर्भ

[2014] 14 एससीआर 1188

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

(2002) 9 एस. सी. सी. 366

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

[2009] 1 एससीआर 859

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

(2002) 9 एस. सी. सी. 364

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

[2014] 10 एससीआर 571

उस पर भरोसा करें

पैरा

36

उस पर भरोसा करें

पैरा

36

1966 पूरक एससीआर 477

(2003) 10 एससीसी 195

उस पर भरोसा करें

पैरा

36

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 590-591 2021 का

उच्च न्यायालय के 23.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की आई. ए. No.6837 और 2015 की आपराधिक अपील No.3107 में 2019 की आई. ए. No.5781 में मध्य प्रदेश की प्रधान पीठ जबलपुर की।

वरुण ठाकुर, वरिंदर कुमार शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सौरभ मिश्रा, एएजी, सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , गोपाल झा,

शकील अहमद, राज किशोर चौधरी, सुश्री मालविका राघवन, नकुल चौधरी, अनुपम भाटी, यादैया जेट्टी, राजेश कुमार शुक्ला, चिराग मदान, अक्षय सहगल, सुश्री पंखुड़ी बुधिदाजा, सुश्री रूहे हिना दुआ, ब्रजेश पांडे, श्रीमती सुचिता दीक्षित, राजीव यादव, अनिलेंद्र पांडे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. यह अपील 23 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक आदेश से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने

दो आवेदनों-मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर 2019 का आई. ए. 6837 और अपीलार्थी द्वारा दायर 2019 का आई. ए. 5781-पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दूसरे प्रतिवादी को दी गई सजा के निलंबन और जमानत की मांग की गई थी।

2. दूसरे प्रतिवादी को एक अपराध का दोषी ठहराया गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा (आई. पी. सी.) के तहत दंडनीय और आजीवन कारावास की सजा। 3 फरवरी 2016 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सजा, अपील के लंबित रहने के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ("सीआरपीसी") की धारा 389 (1) के प्रावधानों के तहत निलंबित रहेगी।

3. डिवीजन बेंच के समक्ष दो आवेदन दायर किए गए थे

उच्च न्यायालय (2019 का आई. ए. 6837 और 2019 का आई. ए. 5781) ने जमानत रद्द करने और 3 फरवरी 2016 के आदेश को रद्द करने के लिए दूसरे प्रतिवादी की सजा को निलंबित कर दिया। जमानत के लिए ये आवेदन अपीलार्थी और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर किए गए थे। अपीलार्थी ने इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की कि सजा निलंबित होने के बाद, दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ पुलिस स्टेशन हाटा, जिला, दमोह में 2019 की प्राथमिकी संख्या 143 दर्ज की गई थी, जिसमें वह अपीलार्थी के पिता की हत्या में शामिल है। मध्य प्रदेश राज्य ने इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की कि -

((i)

दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ दो अन्य दोषसिद्धि हैं। उसे हत्या के आरोप में;

((ख)

दूसरे प्रतिवादी को एक अन्य अपराध का दोषी ठहराया गया है।

आई. पी. सी. की धारा 399 और 402 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (1 बी) (ए) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए; और

(iii)

अपीलार्थी के कहने पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आरोप लगाते हुए कि दूसरा प्रतिवादी उस अवधि के दौरान अपने पिता की हत्या में शामिल है जब वह जमानत पर था।

4. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर जमानत रद्द करने का आवेदन आपराधिक पृष्ठभूमि को निर्धारित करता है।

दूसरा उत्तरदाता। पैराग्राफ 8 इस प्रकार हैः

" 8. इस स्तर पर, अपीलार्थी को जिन तीन दोषसिद्धिओं का सामना करना पड़ा, उनके विवरण के लिए यह प्रासंगिक होगा। इनका विवरण नीचे दिया गया हैः

(क) यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले अपराध में, अपीलार्थी ने मृतक राजेंद्र पाठक की हत्या आईडी1 पर की थी, जो अपने स्कूटर पर जा रहा था और उसका सामना अपीलार्थी और सह-अभियुक्त चंदू ठाकुर से हुआ, जो मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। विपरीत दिशा से। प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी गोविंद सिंह ने कट्टा के माध्यम से मृतक राजेंद्र पाठक पर गोली चलाई जो मृतक की छाती पर लगी। उक्त गोली मिलने के बाद मृतक अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसी सह-आरोपी चंदू ठाकुर को देखकर उसने गोली चला दी जो मृतक की पीठ पर लगी। मृतक राजेंद्र पाठक ने उक्त चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उक्त घटना के आधार पर, सत्र सुनवाई शुरू की गई और अपीलार्थी को राजेंद्र पाठक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और दिनांक 1 के फैसले द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद अपीलार्थी द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष सीआरए No.2353/2008 दायर किया गया था। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि मृतक राजेंद्र पाठक से संबंधित मामले के साथ वर्तमान मामले की समानता यह है कि वर्तमान मामले में मृतक पप्पु पाठक और कैलाश पाठक थे

सभी एक ही परिवार के हैं। (ख) यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे अपराध में, अपीलार्थी

अन्य लोगों के साथ मिलकर मुन्ना विश्वकर्मा की हत्या कर दी। उक्त घटना के आधार पर, सत्र परीक्षण सं. 113/2005 स्थापित किया गया था और अपीलार्थी को निर्णय dated27.10.2015 के माध्यम से मुन्ना की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील सं. 3108/2015 दायर की गई थी।

399 और भारतीय दंड संहिता की धारा 402 और धारा 25 (1) (1बी) (ए) शस्त्र अधिनियम। उक्त मामले में भी, अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था और उसके बाद आपराधिक अपील संख्या 1984/2011 दायर की गई थी, जिसमें भी उसकी सजा निलंबित कर दी गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी समाज के लिए एक गंभीर खतरा रहा है और उसने

लगातार आपराधिक अपराध कर रहा है। "

पैराग्राफ 10 में अपीलार्थी के कहने पर 15 मार्च 2019 को दर्ज की गई एफ़. आई. आर. का संदर्भ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि दूसरा प्रतिवादी अपने पिता की हत्या की हैः

" 10 यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि उक्त आपराधिक अपीलों में जमानत देने के बाद, अपीलार्थी ने फिर से 15.03.2019 पर एक देवेंद्र चौरशिव की हत्या कर दी है और उस संबंध में एक एफ. आई. आर. अपीलार्थी के खिलाफ 15.03.2019 पर ही दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है। आई. पी. सी. के 323,324,307,147,148,149,506 उल्लेखनीय रूप से, क्योंकि मृतक की मृत्यु के बाद वर्तमान अपराध में
एफ. आई. आर., अपराध यू. एस./एस. एस. एस.

जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 11 जनवरी 2021 को स्थगन। इस बीच, 12 फरवरी 2021 को, अपीलार्थी के वकील ने इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि 8 जनवरी 2021 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (“ ए. एस. जे.) ने औरंगाबाद में, एस. ओ. एम. ई. एस. एच. यू. आर. ए. एस. ए. बनाम से उत्पन्न सत्र मुकदमे के दौरान सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत दूसरे प्रतिवादी को समन जारी किया।

7. इसके बाद, जब 12 मार्च 2021 को इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सूचीबद्ध की गई, तो न्यायालय ने 2019 के सत्र परीक्षण संख्या 30 (अतिरिक्त न्यायाधीश) में ए. एस. जे., हाटा जिला, दमोह द्वारा पारित 8 जनवरी 2021 के एक आदेश पर ध्यान दिया। 2019 का सं. 143)। 8. ए. एस. जे. द्वारा 8 जनवरी 2021 को पारित आदेश विशेष रूप से दूसरे प्रतिवादी के आपराधिक रिकॉर्ड को संदर्भित करता है, और नीचे निकाला गया हैः

" अभियुक्त गोविंद सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण है -

तदनुसारः

अनुभागों के तहत

एस. नं. अपराध मामला सं।

147 , 148 , 149 , 302 , 34 आईपीसी की।

1 .

150/93

393 , 365 , 34 आईपीसी की।

173/94

2 .

395 , 396 , 397 , आई. पी. सी.

3 .

169/04

147 , 148 , 149 , 302 , 324 आई. पी. सी., और

170/04

4 .

धारा 3/5 के तहत और धारा के तहत 25/27 शस्त्र अधिनियम।

414/06

399 , 402 आई. पी. सी. और धारा के तहत

5 .

25/27 शस्त्र अधिनियम।

364 , 34 आईपीसी की।

6 .

68/07 390/07

7 .

384 आईपीसी की।

सांसद की धारा 3 (2) के तहत

8 .

एस. नं. 01/10

संरक्षण अधिनियम, 1980।

9 .

सांसद की धारा 3 (2) के तहत

एस. नं. 02/19

संरक्षण अधिनियम, 1980।

10 .

धारा 110 Jaa.fau के तहत।

एस. नं. 08/19

11 .

धारा 107,116 (3) Jaa.fau के तहत।

एस. नं. 160/19

396 , 386 , 365 आईपीसी की।

384 , 34 आईपीसी की।

13 .

241/96

14 .

44/99

384 आईपीसी की।

341 , 294 , 506 बी, आई. पी. सी. का 34.

15 .

168/2000

307 , 34 आईपीसी की।

16 .

80/04

17 .

171/04

394 आईपीसी की।

सांसद की धारा 6 के तहत

18 .

एस. नं. 01/13

संरक्षण अधिनियम, 1980।

सांसद की धारा 3 (2) के तहत

19 .

एस. नं. 01/19

संरक्षण अधिनियम, 1980।

धारा 110 जेएएएफए के तहत।

20 .

एस. नं. 07/19

धारा 107,116 (3) के तहत।

21 .

एस. नं. 159/19

पीएस-पथरिया, दमोह

294 , 323 , 34 आई. पी. सी. की धारा के तहत

56/92

22 .

3 (1-10) एससी एसटीएक्ट।

23 .

436 , 34 आई. पी. सी. की धारा 3 (1-10) के तहत

93/92

एससी एसटी अधिनियम।

147 , 341 , 307 , 506 आईपीसी की।

24 .

31/10

295 , 397 आईपीसी की।

25 .

157/93

294 , 506 , 427 आईपीसी की।

26 .

169/90

पीएस-कोटवाली दमोह

307 , 302 , 34 , 120 आईपीसी और हथियार

27 .

578/98

एक्ट करें।

28 .

147 , 452 , 294 , 506 , 34 आई. पी. सी. "

214/16

ए. एस. जे. ने अपने आदेश में अनुसरण में कदम उठाने के लिए कारण दिए दूसरे प्रतिवादी को आरोपित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के प्रावधान एक अभियुक्त।

9. इसके बाद, 8 फरवरी 2021 के अपने आदेश में, ए. एस. जे. ने नोट किया यद्यपि वह इस निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई कर रहा था दूसरे उत्तरदाता पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए, प्रक्रिया यूआरटी को बाधित किया जा रहा था। एएसजे ने गंभीर आशंका व्यक्त की अभियुक्त और पुलिस अधीक्षक ("एसपी"), दमोह के पास था बाद वाले के अधीनस्थों के साथ "गंभीर आरोप लगाने के लिए" सोमश चौरसिया बनाम।

न्यायाधीश के खिलाफ। ट्रायल जज ने कहा कि आरोपी एक "अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति" है और हालांकि मामले के हस्तांतरण के लिए जज के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन स्थानांतरण के आवेदन को जिला जज ने खारिज कर दिया था। 8 फरवरी 2021 के आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" इस मामले में कार्रवाई माननीय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तेजी से। लेकिन आरोपी व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और उन्होंने मुद्दा उठाया है मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए और माननीय के समक्ष मामले के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया। जिला न्यायाधीश जो झूठा पाया गया और माननीय। जिला न्यायाधीश ने आवेदन को लागत और अवमानना के साथ खारिज कर दिया था। लेकिन आरोपी व्यक्तियों की तरह, अब पुलिस

अधीक्षक दमोह ने अपने अधीनस्थों के साथ सांठगांठ की थी और

झूठा और मनगढ़ंत दबाव बनाया। उपरोक्त इस तरह के कृत्यों से यह स्पष्ट है और मुझे विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक दमोह के साथ आरोपी व्यक्तियों ने अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर साजिश रची थी

भविष्य में मेरे खिलाफ गंभीर आरोप या कोई अप्रिय घटना

मेरे साथ किया जा सकता है। "

10. इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने गंभीरता से ध्यान दिया

8 फरवरी 2021 को ए. एस. जे. द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और 12 मार्च 2021 के अपने आदेश में उल्लेख किया गया है किः

" 8. 8 फरवरी 2021 के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश से संकेत मिलता है कि उन पर दमोह के पुलिस अधीक्षक द्वारा दबाव डाला जा रहा है, जो उनके साथ मिलकर

अधीनस्थ, न्यायिक अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारी ने आशंका व्यक्त की है कि "अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति" अभियुक्तों ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया है जिसे जिला न्यायाधीश ने गलत पाए जाने के बाद खारिज कर दिया था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने

आशंका है कि वह एक "अप्रिय घटना" के अधीन हो सकता है

भविष्य में "।

11. इस न्यायालय के 12 मार्च 2021 के आदेश ने इस पर ध्यान दिया

तथ्य यह है किः

15 मार्च 2019 को एक एफ. आई. आर. दर्ज होने के बावजूद जहाँ

((i)

अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि दूसरा प्रतिवादी अपने पिता की हत्या में संलिप्त था, उसे गिरफ्तार करने के लिए जाँच अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे थे; [2021] 6 एस. सी. आर.

((ख)

इस पृष्ठभूमि में, यह ए. एस. जे. ही था जो मजबूर था

धारा 319 के तहत दूसरे प्रतिवादी को समन जारी करें

मुकदमे का सामना करने के लिए सी. आर. पी. सी. का;

€ (iii) उसके खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद, दूसरा

प्रतिवादी फरार होता रहा; और कार्यवाही के दौरान यह कहा गया था

((iv)

कि दूसरे प्रत्यर्थी का जीवनसाथी एक विधायक है और "इसलिए, दूसरे प्रत्यर्थी को कानून के जबरदस्त हथियार से बचाने के लिए सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं"।

ए. एस. जे. द्वारा व्यक्त आशंका पर ध्यान देते हुए कि वह

लक्षित होने पर, इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

4 मार्च 2021 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ 10,000 रुपये के पुरस्कार के साथ घोषणा जारी की गई है। फिर भी दूसरा प्रतिवादी गिरफ्तारी से बचना जारी रखता है। द. कानून के शासन को संरक्षित किया जाना चाहिए।

12. इस पृष्ठभूमि में, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ("डीजीपी") को "विज्ञापन प्रतिवादी की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित करने और अदालत में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करके अनुपालन की रिपोर्ट करने" का निर्देश दिया गया था। डी. जी. पी. को आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया था।

ए. एस. जे. द्वारा अपने आदेश में एस. पी. के खिलाफ दूसरे प्रतिवादी द्वारा

8 फरवरी 2021।

13. दमोह के एसपी को नोटिस जारी किया गया था।

14. 12 मार्च 2021 के आदेश के अनुसरण में, डी. जी. पी. ने एक हलफनामा दिया जिसमें कहा गया है कि सोमेश चौरसिया बनाम की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयासों के बावजूद।

दूसरा प्रतिवादी, पुलिस उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने में असमर्थ रही। हलफनामे में निम्नलिखित विवरण दिए गए हैंः

ए. एस. जे. द्वारा 8 जनवरी 2021 के अपने आदेश के बाद, आरोपित किया गया

((i)

अभियुक्त के रूप में दूसरा प्रतिवादी, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। दमोह पुलिस द्वारा 8 जनवरी 2021 से दूसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाए गए थे। हालांकि, दूसरा प्रतिवादी फरार था और

गिरफ्तारी से बचना। नतीजतन, एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। 10,000 के ठिकाने की जानकारी देने के लिए घोषित किया गया था

अभियुक्त;

((ख)

डी. जी. पी. ने एक "विशेष दल" के गठन का निर्देश दिया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ए. एस. पी.), दमोह,

12 मार्च 2021 के इस न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए दूसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार करना। स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल ("एसटीएफ") को भी आरोपी को पकड़ने का काम सौंपा गया था। हलफनामे में दमोह पुलिस और एसटीएफ द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।

(iii)

एएसजे हाटा के लिए सुरक्षा का प्रावधान किया गया था; और

((iv)

एएसजे द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच 8 फरवरी 2021 के अपने आदेश में एसपी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ("एडीजीपी"), एसटीएफ को सौंपा गया था।

पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

15. की विफलता के लिए डी. जी. पी. द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण का पता लगाना

पुलिस द्वारा दूसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार करना अस्वीकार्य है, इस न्यायालय ने 26 मार्च 2021 के अपने आदेश में कहाः

" 2 हम पुलिस महानिदेशक का हलफनामा पूरी तरह से अस्वीकार्य पाते हैं। यह इस कारण की अवहेलना करता है कि कैसे एक आरोपी जो विधान सभा के एक मौजूदा सदस्य का जीवनसाथी है, को इसके अनुसरण में आरोपित किए जाने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 के प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना होगा।

कोड 1860।

अभियुक्त को आपराधिक कानून की उचित प्रक्रिया से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अदालत को सूचित किया गया कि इससे पहले, आरोपी था

यहां तक कि पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई है, हालांकि यह वकील द्वारा कहा गया है

बता दें कि इसे अब वापस ले लिया गया है। "[2021] 6 एस. सी. आर.

16. तदनुसार, डी. जी. पी. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि इस न्यायालय के 12 मार्च 2021 के पिछले आदेश का पालन किया जाए, जिसमें विफल रहने पर यह न्यायालय कानून के अनुसार दंडात्मक कदम उठाने के लिए विवश होगा। उस स्तर पर, इस न्यायालय को अपीलार्थी के वकील द्वारा भी अवगत कराया गया था कि हालांकि दूसरे प्रतिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था।

धारा 303 के तहत वह फरार रहता था। दूसरी ओर, उन्हें मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। तदनुसार, डी. जी. पी. द्वारा एक और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था जिसमें कहा गया थाः

((i)

तारीख जिस पर और जिसके आधार पर कारण

अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान की गई; क्या आज की तारीख तक सुरक्षा प्रदान की जानी जारी है;

((ख)

और

(iii)

यदि उपरोक्त (ii) का उत्तर नकारात्मक है, तो तारीख

जिसे सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

17. इस अदालत के 26 मार्च 2021 के आदेश के अनुपालन में डी. जी. पी. द्वारा 3 अप्रैल 2021 को एक और हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था किः

(1)

दमोह पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसार और

दूसरे प्रतिवादी एसटीएफ को 28 मार्च 2021 को भिंड जिले के एक बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था। दूसरा प्रतिवादी वर्तमान में उप-जेल, हाटा में न्यायिक हिरासत में था।

जिला, दमोह; और

((ख)

एसपी ने दूसरे को सुरक्षा देने की सिफारिश की थी। कई व्यक्तियों के साथ अपनी शत्रुता और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रतिवादी। सिफारिश के

आधार पर, दूसरे प्रतिवादी को 11 जुलाई 2020 को एक अधिकारी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। राज्य सुरक्षा द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

25 सितंबर 2020 को समिति। 9 जनवरी 2021 को सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

18. 6 अप्रैल 2021 को, डी. जी. पी. द्वारा दूसरे प्रतिवादी को सुरक्षा प्रदान करने के कारणों का विवरण देते हुए एक और हलफनामा दायर किया गया था। शपथ पत्र बयान में कहा गया हैः

श्रीमती. विधायक रामबाई गोविंद सिंह ने

(1)

उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिनांक 3 जुलाई 2020 का आवेदन पति/पत्नी (दूसरा प्रतिवादी) "अपने राजनीतिक आधार पर

कई व्यक्तियों के साथ पृष्ठभूमि और शत्रुता "; सोमेश चौरसिया बनाम।

((ख)

एक सुरक्षा अधिकारी को दूसरे उत्तरदाता के लिए विस्तृत किया गया था।

11 जुलाई 2020 को;

एस. पी. से खतरे के आकलन की रिपोर्ट मांगी गई थी

(iii)

24 सितंबर 2020 को प्रतिभूति प्रदान करने की सिफारिश की गई। एस. पी. की सिफारिश को 25 सितंबर 2020 को राज्य सुरक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

((iv) इसके बाद, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंतिम आदेश पारित किया गया था।

7 अक्टूबर 2020 को; और

(v)

8 पर ए. एस. जे. द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर दूसरे प्रतिवादी को प्रदान की गई सुरक्षा को हटाना। जनवरी 2021।

19. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री वरुण ठाकुर ने अपनी दलीलों के दौरान उस आधार को रेखांकित किया है जिसके आधार पर निलंबन आदेश के अनुसार जमानत रद्द की गई है।

सजा की मांग की जाती है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि दूसरे प्रतिवादी को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद दंड संहिता की धारा 303 के तहत दंडनीय गंभीर अपराध में फंसाया गया है। यह आग्रह किया गया है कि घटनाओं का क्रम इंगित करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आदेश के बावजूद, दूसरे प्रतिवादी ने अपने खिलाफ वारंट और एक घोषणा के बावजूद कानून के उचित पाठ्यक्रम से बचा लिया। यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी इसमें शामिल थे और उन्होंने बचाव करना जारी रखा

दूसरा प्रत्यर्थी जिसका जीवनसाथी विधायक है। इस अदालत के आदेश के बावजूद, डी. जी. पी. ने शुरू में बताया कि दूसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। धारा 302 के तहत अपराध के दोषी ठहराए जाने के बावजूद राज्य ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। ए. एस. जे. का आदेश है

20. इन दलीलों को राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से श्री सौरभ मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता द्वारा चुनौती दी गई है जनरल। श्री मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि घटनाओं के निम्नलिखित क्रम को ध्यान में रखा जा सकता हैः

15 मार्च 2019-कुछ लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी

((i)

दूसरे प्रतिवादी सहित अभियुक्त;

((ख)

13 जून 2019-एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था सक्षम न्यायालय। हालाँकि, दूसरे प्रतिवादी का नाम [2021] 6 एस. सी. आर. रखा गया था।

एफ. आई. आर. में एक आरोपी के रूप में, आरोप पत्र में दूसरे प्रतिवादी का नाम नहीं था क्योंकि आगे की जांच लंबित थी।

उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत;

(iii)

23 जुलाई 2019-विवादित आदेश उच्च द्वारा पारित किया गया था

न्यायालय;

((iv)

7 सितंबर 2019-एक समापन रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की गई थी

सक्षम अदालत दूसरे प्रतिवादी को दोषमुक्त करती है;

(v)

24 मार्च 2020-राज्य में एक नई सरकार का गठन हुआ।

विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद एम. पी.

18 मार्च 2020; और

(vi)

8 जनवरी 2021-अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था

दूसरे प्रतिवादी को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत। राज्य ने आवेदन का विरोध नहीं किया।

राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया था कि मिलीभगत के आरोप में कोई दम नहीं है क्योंकि वास्तव में, राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन का विरोध नहीं किया था।

एडीजीपी और एसटीएफ, भोपाल द्वारा संचालित। एडीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में दिनांक 22 मार्च 2021 को डी. जी. पी. ने कहा कि इसमें कोई पदार्थ नहीं मिला था।

8 फरवरी 2021 के अपने आदेश में एएसजे की टिप्पणियाँ। जाँच के निष्कर्षों से पता चलता हैः

" 24. पूरी घटना का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैंः

सुश्री भावना डांगी, एस. डी. ओ. पी., उनकी नई पोस्टिंग में शामिल हुईं, 6

(अ)

माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से कुछ दिन पहले और यह

उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग।

सुश्री भावना डांगी, एस. डी. ओ. पी. ने घटना की जानकारी दी।

(ख)

स्वयं अदालत में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने।

((ग)

दमोह के पुलिस अधीक्षक को तुरंत इसकी जानकारी दी गई

यह घटना सुश्री भावना डांगी के साथ जिले के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यानी माननीय जिला और सत्र के साथ हुई

जज, दामोहन 06.02.21।

सोमेश चौरसिया बनाम। एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

न्यायपालिका के बीच जिला स्तर पर समन्वय के लिए और

((घ)

कार्यपालक, जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक संपर्क में रहते हैं। उसी प्रोटोकॉल के तहत, पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि

जिला और सत्र न्यायाधीश को घटना।

(ई) जांच के दौरान, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हाटा और दोनों जे. एम. एफ. सी., हाटा से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने जबलपुर के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए बिना कोई भी बयान देने में असमर्थता दिखाई। इस संदर्भ में 17.03.21 पर माननीय महापंजीयक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था।

सुश्री भावना डांगी द्वारा दायर आवेदन दिनांक 12.02.21

(च)

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के माननीय महापंजीयक के कार्यालय में लंबित है और इसकी जांच के बाद ही दायर आवेदन पर कोई टिप्पणी दी जा सकती है।

एस. ओ. ओ. पी. द्वारा, Ms.Dangi।

25. जांच में सामने आए तथ्यों से यह साबित होता है कि

दूसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया था। आरोप है कि ए. एस. जे. स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थी और उसने चार घंटे से अधिक समय तक अदालत में अपना पक्ष रखा और उसका अपमान किया। एस. डी. ओ. पी. ने ए. एस. पी. से सेवा से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की थी। यह घटना ए. एस. पी. द्वारा जे. एम. एफ. सी., हाटा को सुनाई गई थी, जिसने मामले को सुलझाने का प्रयास किया है। इसके बाद, एसडीओपी ने उच्च न्यायालय में एक शिकायत प्रस्तुत की थी और 12 फरवरी 2021 को महापंजीयक से मुलाकात की थी। 8 फरवरी 2021 के आदेश को पहली बार 20 फरवरी 2021 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। 22. इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एस. पी. के खिलाफ जांच इस न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में की गई है और

न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सार नहीं मिला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. ए. डी. जी. पी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ए. एस. पी. ने जे. एम. एफ. सी. को सूचित करने से इनकार कर दिया था कि "यह ए. डी. जी. पी. का एक आदेश है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हाटा के मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना चाहिए कि एसडीओपी डांगी परेशान हैं, वह इस्तीफा दे रही हैं, सोनकर साहब कुछ नरमी दिखाने के लिए ", उन्होंने बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए जे. एम. एफ. सी. के साथ संवाद किया था।

माननीय न्यायालय और कार्यपालिका के बीच अपनी मर्जी से। रिपोर्ट का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 21. इस पूरी घटना में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दमोह ने माननीय जे. एम. एफ. सी., हाटा के साथ संवाद किया ताकि माननीय न्यायालय और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा जा सके। अपने बयान के दौरान, एडि. पुलिस अधीक्षक ने आदेश पत्र में उल्लिखित कुछ टिप्पणियों को स्वीकार किया और कुछ अन्य टिप्पणियों से इनकार किया। अपने बयान में, अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया कि माननीय जे. एम. एफ. सी., हाटा के बीच अधीक्षक के बारे में कुछ संदर्भ आए थे।

पुलिस, दमोह। वह आगे कहता है कि पुलिस अधीक्षक, दमोह ने उसे जे. एम. एफ. सी., हाटा के साथ संवाद करने का निर्देश नहीं दिया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए दोनों माननीय जे. एम. एफ. सी. के साथ इस मामले पर चर्चा की थी।

24. एसपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि 6 फरवरी 2021 को एसडीओपी ने एक अदालत में न्यायिक अधिकारी और एस. पी. द्वारा अपमानित किए जाने की शिकायत ने उसी तारीख को जिला और सत्र न्यायाधीश को घटना के बारे में सूचित किया था। 7 फरवरी 2021 को उच्च न्यायालय के महापंजीयक को फोन पर सूचित किया गया था। 8 फरवरी 2021 को, ए. एस. जे. ने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए एक आदेश पारित किया कि उन्हें लक्ष्य बनाया जा रहा है।

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। हालाँकि, उसी दिन, ए. एस. जे. ने एस. पी. को एक संदेश भेजा जिसमें ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था। 12 फरवरी 2021 को उच्च न्यायालय के महापंजीयक को एस. डी. ओ. पी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया और उनसे मुलाकात की गई। 8 फरवरी 2021 का आदेश, जिसे प्रस्तुत किया गया है, 20 फरवरी 2021 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में श्री लूथरा ने आग्रह किया कि एसपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। 25. दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री शकील अहमद ने प्रस्तुत किया है कि दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है कि इस अदालत की ओर से जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया था

एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) डायरी में 2021 के आई. ए. सं. 50800 में दूसरे उत्तरदाता सोमेश चौरसिया बनाम.

एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2020 का सं. 21783। 1 जून 2021 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था -

यह न्यायालयः

" 1 जमानत के लिए आवेदन पर बहस करने के बाद, आवेदक (विशेष अनुमति याचिकाओं में दूसरा प्रतिवादी) की ओर से पेश विद्वान वकील अदालत से अनुमति मांगता है

जमानत के लिए आवेदन वापस लें।

2 जमानत के लिए आवेदन तदनुसार वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। "
"

तदनुसार आई. ए. को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया।

26. प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले, यह आवश्यक है

23 जुलाई 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता का विज्ञापन करने की शुरुआत। 2019 की एफ. आई. आर. सं. 143 15 मार्च 2019 को दूसरे प्रतिवादी सहित कई अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 354,323,324,307,147,148,149 और 506 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने पीड़ित देवेंद्र चौरसिया पर रॉड और डंडों से हमला किया था। घायल पीड़ित ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, जिसके बाद धारा 307 के तहत एक अपराध जोड़ा गया। अन्य अभियुक्तों में, एफ़. आई. आर. में दूसरे प्रतिवादी का नाम था। 13 जून 2019 को, सक्षम अदालत के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें दूसरे प्रतिवादी का नाम नहीं था। दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत जांच लंबित रखी गई थी।

27. एक अन्य मामले में, दूसरे प्रतिवादी को 27 अक्टूबर 2015 को सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसके खिलाफ उसने उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 की आपराधिक अपील संख्या 3107 दायर की थी। अपील के लंबित रहने के दौरान, 3 फरवरी 2016 को सजा को निलंबित कर दिया गया था। इस आरोप के मद्देनजर कि दूसरे प्रतिवादी ने हत्या का अपराध किया था जब उसकी सजा निलंबित कर दी गई थी, राज्य सरकार ने सजा को निलंबित करने/दूसरे प्रतिवादी को जमानत देने के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के बयानों को ध्यान में रखते हुए दोनों आवेदनों का निपटारा किया कि राज्य सरकार आगे है दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन की जांच करते हुए कहा गया है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जांच तीन महीने के भीतर पूरी की जा सकती है, लेकिन बाद में नहीं, और अगर जांच के बाद दूसरा प्रतिवादी अपराध करने में शामिल है, तो उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए।

तुरंत और "निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए"।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. 7 सितंबर 2019 को, पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष दूसरे प्रतिवादी के संबंध में प्राथमिकी संख्या 143 में एक समापन रिपोर्ट दायर की।

2019 दिनांक 15 मार्च 2019। दूसरे प्रतिवादी को समन करने के लिए ए. एस. जे. के समक्ष सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। 8 जनवरी 2021 के एक आदेश द्वारा, आवेदन को अनुमति दी गई और दूसरे प्रतिवादी को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी वारंट और घोषणा जारी होने के बावजूद, दूसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस न्यायालय का 12 मार्च 2021 का आदेश अपने लिए बोलता है।

29. उच्च न्यायालय ने 23 जुलाई 2019 के अपने विवादित आदेश द्वारा

दूसरे प्रतिवादी को, जिसने कथित रूप से उस अवधि के दौरान हत्या की थी जब उसकी सजा निलंबित की गई थी, तब तक जमानत पर बने रहने की अनुमति दी गई जब तक कि उसके दावे कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा था, की नब्बे दिनों में पहली बार जांच नहीं की गई। इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से

एक असामान्य क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया। उच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से आपराधिक न्याय के प्रशासन को बाधित कर दिया है।

30. सी. आर. पी. सी. की धारा 389 (1) 1 अदालत को एक

जमानत पर दोषी व्यक्ति। सी. आर. पी. सी. की धारा 389 (1) के दूसरे प्रावधान में कहा गया है कि जहां एक दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया है, वहां लोक अभियोजक के लिए इसे रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार है। जमानत। हालांकि, दोषसिद्धि के बाद जमानत की मंजूरी अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाओं और मापदंडों द्वारा नियंत्रित होती है। धारा 389 (1) के तहत सजा के निलंबन को नियंत्रित करने वाले कारकों पर इस अदालत ने (न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के माध्यम से बोलते हुए) अतुल त्रिपाठी में चर्चा की है।

बनाम यू. पी. 2 का राज्य निम्नलिखित शब्दों में:

" यह देखा जा सकता है कि के बीच एक स्पष्ट अंतर है

धारा 439 के तहत जमानत पर विचार करने की प्रक्रिया, जो है

1 1 "धारा 389। अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन; अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करना। — (1) किसी दोषी व्यक्ति द्वारा किसी भी अपील को लंबित रखते हुए, अपीलीय न्यायालय, उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, आदेश दे सकता है कि उसके खिलाफ अपील की गई सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित किया जाए और साथ ही, यदि वह कारावास में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए।

बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय, जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा करने से पहले, एक दोषी व्यक्ति जो मौत या आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के खिलाफ लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर देगाः

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां एक दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाता है, वह लोक अभियोजक के लिए जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा। 2 (2014) 9 एस. सी. सी. 177 सोमेश चौरसिया बनाम।

एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जमानत देने से इनकार करना। हालाँकि, यदि अपीलीय अदालत दोषी को जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए इच्छुक है, तो लोक अभियोजक अपीलार्थी को जमानत पर क्यों नहीं छोड़ा जाए, इसके बारे में लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर दिया जाएगा। इस तरह का कड़ा प्रावधान केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों से अवगत कराया जाए ताकि अदालत विचार कर सके कि क्या

इसे ध्यान में रखते हुए रिहाई के लिए यह एक उपयुक्त मामला है

जिस तरह से अपराध किया जाता है, उसकी गंभीरता अपराध, उम्र, दोषी की आपराधिक पृष्ठभूमि, प्रभाव

न्याय वितरण प्रणाली आदि में जनता के विश्वास पर।

लोक अभियोजक को ऐसा अवसर दिए जाने के बावजूद,

यदि लिखित रूप में कोई कारण नहीं दिखाया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय दर्ज करेगा कि राज्य ने लिखित रूप में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना है कि मिलीभगत का कोई आरोप न हो और यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर मामलों में जमानत देने के लिए प्रासंगिक विचारों के संबंध में राज्य द्वारा न्यायालय को सही और सही तथ्यों के साथ उचित रूप से सहायता प्रदान की जाए।

अपराध, दोषसिद्धि के बाद के चरण में "।

31. इस न्यायालय ने रामजी प्रसाद बनाम रतन कुमार जायसवाल के मामले में यह टिप्पणी की है कि आई. पी. सी. की धारा 302 ई के तहत दोषसिद्धि से जुड़े मामलों में सजा को केवल असाधारण मामलों में ही निलंबित किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. मसूद अली खान बनाम। यू. पी. राज्य और Ors.4, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि अभियुक्त, जो मुकदमे की अवधि के दौरान जमानत पर थे, ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया, दोषसिद्धि के बाद सजा के निलंबन की मंजूरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। इस अदालत ने विजय कुमार बनाम नरेंद्र 3 पर भरोसा रखते हुए दोहराया कि सभी

"अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति, जिस तरीके से अपराध का आरोप लगाया गया था, अपराध की गंभीरता, हत्या का गंभीर अपराध करने के बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की वांछनीयता" सहित प्रासंगिक कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

33. उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था। हम इन कार्यवाही में इस बात पर विचार करने के लिए नहीं हैं कि क्या सजा के निलंबन को मंजूरी देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश पहली जगह में वैध था।

34. आपराधिक कानून में अलग-अलग सैद्धांतिक अवधारणाएँ हैं -

((i) मुकदमे से पहले जमानत देना या जिसे 'पूर्व-दोषसिद्धि' चरण के रूप में वर्णित किया गया है; (ii) जमानत देने वाले आदेश को तब दरकिनार करना जब वे सिद्धांत -

धारा 389 (1) के प्रावधानों के तहत सजा; और (iv) पर्यवेक्षी घटनाओं के आधार पर जमानत रद्द करना, जैसे कि जमानत की अवधि के दौरान आरोपी का आचरण, जमानत के जारी रहने को दूषित करना। 35. वर्तमान मामला उपरोक्त शैलियों में से अंतिम में आता है जहां जमानत को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि दूसरे प्रतिवादी को उस अवधि के दौरान धारा 302 के तहत अपराध में फंसाया गया था जब उसकी सजा निलंबित की गई थी।

36. यह न्यायालय अब्दुल बासित बनाम अब्दुल कादिर चौधरी 6,

उच्च न्यायालय की जमानत रद्द करने की शक्तियों पर चर्चा करते हुए

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत एक आरोपी ने कहा है कि आम तौर पर आरोपी के निम्नलिखित आचरण के परिणामस्वरूप जमानत रद्द हो जाएगी-(i) समान आपराधिक गतिविधि में शामिल होकर स्वतंत्रता का दुरुपयोग; (ii) जांच के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप; (iii) साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़; (iv) गवाहों को धमकी देना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो जांच में बाधा डालती हैं; (v) दूसरे देश भागने की संभावना; (vi) जांच के लिए अनुपलब्ध होने या भूमिगत होने से दुर्लभ होने का प्रयास; और (vii) उनकी पहुंच से बाहर होना।

4 (2009) 3 एससीसी 492

5 (2002) 9 एस. सी. सी. 364

6 (2014) 10 एस. सी. सी. 754 सोमेश चौरसिया बनाम

उनकी जमानत। इसी तरह के विचार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (1) के दूसरे प्रावधान के तहत दोषसिद्धि के बाद के चरण में जमानत रद्द करने को नियंत्रित करते हैं। पम्पापति बनाम मैसूर राज्य 'मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उच्च न्यायालय के पास पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 ("दंड प्रक्रिया संहिता, 1898") की धारा 4268 की उप-धारा (1) और (2) के तहत दी गई सजा के निलंबन को रद्द करने की शक्ति है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 561-ए के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया गया है। ये थे आरोपी

आरोप है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, जबकि उनकी सजा निलंबित कर दी गई थी।

उप-दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 426 की धारा (1) और (2) वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (1) के समान हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पामापति (उपरोक्त) में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 561-ए का सहारा लेकर एक दोषी की जमानत रद्द करने का मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि दूसरा परंतुक, जिसे अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 की उप-धारा (1) में जोड़ा गया है, पहले के कानूनी ढांचे के तहत मौजूद नहीं था। तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के बाद से। , अब, जमानत रद्द करने से संबंधित है, अपील अदालत में अपील के लंबित रहने के दौरान किसी दोषी व्यक्ति को दी गई सजा के निलंबन और जमानत को रद्द करने के लिए किसी अंतर्निहित शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इस न्यायालय ने अपने आदेश में रमेश कुमार सिंह बनाम झब्बर सिंह और अन्य मामले में पारित किया। , यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (1) के तहत सजा के निलंबन के दौरान अन्य अपराध करके अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो वे जमानत पर रिहा होने के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। उस मामले में, आरोपी को शिकायतकर्ता के पिता की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसकी सजा के निलंबन के दौरान, जब वह जमानत पर बाहर था, तो उसने शिकायतकर्ता के भाइयों की हत्या कर दी थी। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। 37. वर्तमान मामला उच्च न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला था। निर्णय के पूर्व भाग में वर्णन निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डालता हैः

7 1966 पूरक एससीआर 477

(2) इस धारा द्वारा अपीलीय न्यायालय को दी गई शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी अपील के मामले में भी किया जा सकता है। 9 (2003) 10 एससीसी 195 [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i)

अपीलार्थी के पिता की हत्या में प्रत्यर्थी उस अवधि के दौरान जब दूसरे प्रत्यर्थी की सजा धारा 302 के तहत पूर्व अपराध के दोषी ठहराए जाने के बाद निलंबित कर दी गई थी। दूसरे प्रतिवादी की आपराधिक पृष्ठभूमि;

((ख)

(iii)

दूसरे उत्तरदाता द्वारा उसका उपयोग करने की प्रबल संभावना 2019 की एफ. आई. आर. 143 की निष्पक्ष जाँच को रोकने के लिए राजनीतिक प्रभाव;

((iv) अपीलार्थी की आशंकाओं में सच्चाई इस आरोप पर कि उसने दूसरे प्रतिवादी की हत्या की थी, उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की ठीक से जांच करने में पुलिस की घोर विफलता से स्पष्ट हो गई है।

अपीलार्थी के पिता को सजा सुनाए जाने के बाद 15 मार्च 2019 को

उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित;

के खिलाफ पुलिस द्वारा एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(v)

दूसरा प्रत्यर्थी उसे दोषमुक्त करता है;

(vi) ए. एस. जे. का 8 जनवरी 2021 का आदेश जिसमें दूसरे प्रतिवादी को सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत तलब किया गया है; ((vii) गिरफ्तारी का वारंट और घोषणा जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी से बचने वाला दूसरा प्रतिवादी;

(viii) के आदेश के बावजूद दूसरे प्रतिवादी की गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की विफलता

यह न्यायालय दिनांक 12 मार्च 2021 को;

इस न्यायालय द्वारा 26 मार्च को जारी किए गए आकस्मिक निर्देश

(ix)

2021 डी. जी. पी. को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पिछले आदेश का अनुपालन, जिसमें विफल रहने पर न्यायालय इसके अनुसार दंडात्मक कदम उठाने के लिए विवश होगा।

कानून के साथ;

(x)

28 मार्च को दूसरे प्रतिवादी की अंतिम गिरफ्तारी

2021 जाहिर तौर पर एक बस स्टैंड से;

(xi) एएसजे द्वारा 8 फरवरी 2021 के अपने आदेश में व्यक्त की गई आशंका कि उन्हें इशारे पर निशाना बनाया जा रहा था

राजनीतिक रूप से प्रभावशाली अभियुक्त; और सोमेश चौरसिया बनाम।

(xii) आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत पूर्व दोषी ठहराए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा दूसरे प्रतिवादी को उसके पति या पत्नी, जो एक विधायक हैं, के कहने पर सुरक्षा का प्रावधान। 38. उच्च न्यायालय ने खुद को उन कानूनी सिद्धांतों पर गलत तरीके से लागू किया जो [2021] 6 एस. सी. आर.

इस तरह के मामले को नियंत्रित करना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा अपनी स्थिति में गंभीर त्रुटि

आक्षेपित क्रम को दो दृष्टिकोणों से माना जा सकता है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने की मांग करने वाले आई. ए. को केवल निपटाकर उन भौतिक विचारों को नजरअंदाज कर दिया, जिन्हें निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए था। जिन घटनाओं का हमने ऊपर वर्णन किया है उनमें से कुछ निस्संदेह उच्च न्यायालय के आदेश के बाद घटित हुई हैं। हालाँकि, जब उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया, तो इस स्थिति को लेते हुए जमानत रद्द करने का एक स्पष्ट मामला स्थापित किया गया। दूसरा पहलू जो भी महत्वपूर्ण है, वह है उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव। उच्च न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ 2019 की प्राथमिकी संख्या 143 दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. की जाँच कानून के अनुसार आगे बढ़नी थी। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने पुलिस को दूसरे प्रतिवादी की शिकायत की जांच करने के लिए नब्बे दिनों की अवधि दी कि उसे निशाना बनाया जा रहा था और इसके बाद पुलिस को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी। इस आदेश का प्रभाव आरोपी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता के बावजूद उसके कहने पर प्राथमिकी की निष्पक्ष जांच में बाधा डालने का था। इसके बाद से जो घटनाएँ घटित हुई हैं, वे इस तथ्य पर जोर देती हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश पारित करने में गंभीर त्रुटि की थी, जिसका दुरुपयोग जांच को विफल करने के लिए किया गया था। पुलिस ने दूसरे प्रतिवादी को दोषमुक्त करते हुए एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, धारा 319 के तहत आदेश के बावजूद, दूसरा

प्रतिवादी ए. एस. जे. द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के उल्लंघन में गिरफ्तार होने से बच गया। इस फैसले के पहले भाग में बताए गए तथ्यों से संकेत मिलता है कि पुलिस दूसरे प्रतिवादी को बचाने में शामिल रही है। दूसरे प्रतिवादी की आपराधिक पृष्ठभूमि और हत्या के आरोप में पूर्व दोषसिद्धि का उल्लेख पहले किया गया है। दूसरे प्रतिवादी, जिसकी पत्नी एक विधायक है, को राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। डी. जी. पी. ने इस अदालत को सूचित किया कि इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद दूसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस न्यायालय द्वारा कानून की जबरदस्त शाखा का सहारा लेने का संकेत देते हुए एक आकस्मिक निर्देश जारी करने के बाद ही दूसरे प्रतिवादी को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था। अभिलेख पर मौजूद सामग्री इंगित करती है कि अभियुक्त को आपराधिक न्याय के प्रशासन से बचाने का प्रयास किया गया है। आशंकाएं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. एस. जे. द्वारा 8 फरवरी 2021 के अपने आदेश में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले एक अत्यधिक प्रभावशाली आरोपी की साजिशों के बारे में व्यक्त किया गया

इस न्यायालय के समक्ष प्रकट किए गए तथ्यों से पर्याप्त रूप से पुष्टि होती है। न्यायिक अधिकारी की पीड़ा और चिंता पर संदेह करने का कोई उचित आधार नहीं है। यह कि राज्य ने धारा 319 के तहत आवेदन का विरोध नहीं किया, पुलिस की निष्क्रियता को उचित ठहराने का एक कमजोर प्रयास है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया की पवित्रता को संरक्षित किया जाए। इस अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना पड़ा है कि कानून का शासन बना रहे।

39. हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि 23 जुलाई 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाए। 2019 का आई. ए. संख्या 6837 और 5781 परिस्थितियों में मान्य होगा। दूसरे प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि दूसरे प्रतिवादी को डी. जी. पी. के निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश की दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपराधिक कार्यवाही का निष्पक्ष मार्ग भटक न जाए।

40. इस कार्यवाही के दौरान, एएसजे द्वारा अपने आदेश में व्यक्त की गई आशंकाओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था

दिनांक 8 फरवरी 2021। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है। जिला न्यायपालिका की न्यायिक स्वतंत्रता पूरी प्रणाली की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायालयों में शामिल हैं -

जिला न्यायपालिका नागरिकों के साथ संपर्क का पहला बिंदु है। यदि न्याय के प्रशासन में नागरिक के विश्वास को बनाए रखना है, तो यह जिला न्यायपालिका के साथ-साथ 'उच्च' न्यायपालिका का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ट्रायल जज भयावह परिस्थितियों के बीच काम करते हैं-बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा, न्यायाधीशों को निशाना बनाए जाने के उदाहरण जब वे सही के लिए खड़े होते हैं और दुख की बात है कि स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए उच्च न्यायालय के प्रशासन के अधीनता जो उन्हें कमजोर बनाती है। औपनिवेशिक मानसिकता जो जिला न्यायपालिका के साथ किए गए व्यवहार में व्याप्त है, उसे बदलना होगा। यह तभी होगा जब प्रत्येक हितधारक के लिए नागरिक स्वतंत्रता-चाहे वह आरोपी हो, पीड़ित हो या नागरिक समाज-हमारी निचली अदालतों में सार्थक रूप से संरक्षित की जाएगी जो उन लोगों के लिए बचाव की पहली पंक्ति है जिनके साथ अन्याय किया गया है।

41. एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में न्यायपालिका का कार्य शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा में निहित है। व्यक्तिगत न्यायाधीशों को करना चाहिए

किसी भी अन्य कारक से बाधित हुए बिना कानून के अनुसार विवादों का न्यायनिर्णयन करने में सक्षम होना। इस प्रकार, "इस कारण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रत्येक न्यायाधीश की स्वतंत्रता है"।

सोमेश चौरसिया की स्वतंत्रता v. एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

व्यक्तिगत न्यायाधीशों में यह भी शामिल है कि वे अपने न्यायिक वरिष्ठों और सहयोगियों से स्वतंत्र हैं। 1 0 10 मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ ने न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव के माध्यम से बोलते हुए कहा हैः

" 29. निष्पक्षता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता

निर्णय लेना न्यायपालिका की पहचान है। यदि "निष्पक्षता" न्यायपालिका की आत्मा है, तो "स्वतंत्रता" न्यायपालिका की जीवनदायिनी है। स्वतंत्रता के बिना निष्पक्षता पनप नहीं सकती। स्वतंत्रता न्यायाधीशों के लिए वह करने की स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें पसंद है। यह न्यायिक विचार की स्वतंत्रता है। यह हस्तक्षेप और दबाव से स्वतंत्रता है जो न्यायिक वातावरण प्रदान करती है जहां वह न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर सकता है। यह जीवन, आदतों और दृष्टिकोण में अनुशासन भी है जो एक न्यायाधीश को निष्पक्ष होने में सक्षम बनाता है। हालाँकि इसका अस्तित्व न केवल दार्शनिक, नैतिक या नैतिक पर निर्भर करता है।

पहलुओं पर लेकिन कई सांसारिक चीजों पर भी कार्यकाल में सुरक्षा,

सामान्य मौद्रिक चिंताओं से मुक्ति, इनसे मुक्ति

(न्यायपालिका में दूसरों से) और (कार्यपालिका से) के बाहर प्रभाव और दबाव। एक व्यक्तिगत न्यायाधीश की स्वतंत्रता, यानी निर्णयात्मक स्वतंत्रता; और एक संस्था या राज्य के एक अंग के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कार्यात्मक

स्वतंत्रता के सिद्धांत की व्यापक अवधारणाएँ हैं न्यायपालिका/न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता "।

43. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों और विचारों से मुक्त होना चाहिए। एक न्यायपालिका जो इस तरह के दबावों के प्रति अतिसंवेदनशील है, राजनेताओं को दंड से मुक्त होकर काम करने की अनुमति देती है और राज्य के राजनीतिक तंत्र में आपराधिकता को बढ़ावा देता है।

10 एम. पी. सिंह, सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ज्यूडिशियरी-द इंडियन एक्सपीरियंस, इंडियाना इंटरनेशनल एंड कम्पेरेटिव लॉ रिव्यू 10, नंबर 2 (2000): 245- 292 . 11 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 463 [2021] 6 एस. सी. आर.

न्याय प्राप्त करें या अन्याय से लड़ें। दोहरी कानूनी प्रणाली का अस्तित्व केवल कानून की वैधता को दूर करेगा। यह कर्तव्य राज्य तंत्र पर भी पड़ता है कि वह कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हो और अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने की अपनी क्षमता और इच्छा का प्रदर्शन करे, ताकि उसके कार्य "सरकारी अराजकता" के क्षेत्र में अतिक्रमण न करें। 12 45. साथ ही, हमारा मानना है कि न्यायाधीशों को कानून का पालन करने और न्याय करने की अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहते हुए, राज्य के अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने से सावधान रहना चाहिए।

उचित देखभाल और चिंतन।

46. ए. एस. जे. द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उसके प्रशासनिक पक्ष से विधिवत जांच की जानी चाहिए ताकि यदि वे सही पाए जाते हैं, तो न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। हम पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दे चुके हैं कि एसडीओपी हाटा ने महापंजीयक को एक शिकायत प्रस्तुत की थी। एस. डी. ओ. पी. की शिकायत के साथ-साथ 8 फरवरी 2021 के ए. एस. जे. के आदेश को दो सप्ताह के भीतर महापंजीयक द्वारा प्रशासनिक पक्ष से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक पक्ष से जांच कराने का अनुरोध किया जाता है ताकि उस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके। इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए हम एडीजीपी और एसटीएफ, भोपाल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उपरोक्त निर्देशानुसार जाँच शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए और अधिमानतः इस निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर। इस आदेश की एक प्रति होगी

इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) द्वारा अनुपालन के लिए उच्च न्यायालय के पंजीयक को सूचित किया गया। अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाएगा।

47. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।

1 2 उपेंद्र बख्शी, भारतीय कानूनी प्रणाली के संकट में कानून के वैध होने का संकटः कानून में वैकल्पिक विकास (विकास प्रकाशन गृह, 1982)।